भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4566
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को देय बकाया राशि

4566. श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेलंगाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को कोई बकाया राशि देय है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेलंगाना सरकार ने एससीसीएल के लाभ का दुरुपयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेलंगाना सरकार ने एससीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के बकाया/देय राशि का दुरूपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को केन्द्र सरकार द्वारा कोई बकाया देय राशि नहीं है। इसके अतिरिक्त, एससीसीएल में ऐसी कोई देय राशि नहीं है जो बकाया हो और तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा सीधे देय हो।

तथापि, दिनांक 30.06.2025 तक, तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीजीजीईएनसीओ) द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिए 18064 करोड़ रुपये (1695 करोड़ रुपये के ब्याज सहित) की बकाया राशि देय है, और बिजली की आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड (टीजीटीआरएएनएससीओ) द्वारा 24,675 करोड़ रुपये (11806 करोड़ रुपये के ब्याज सहित) की बकाया राशि देय है।

(ख) (ग) और (घ) : जी, नहीं।

****